दिनांक 19.04.2021
प्रेस विज्ञप्ति 19/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद आगरा/थाना सिकन्दरा

- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद,**
- **चोरी की तिजोरी आदि बरामद**

दिनांक 19.04.2021 को थाना सिकन्दरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जेसीबी तिराहे से 05 अभियुक्तों 1–रिंकू 2–भारत 3–ब्रजेश 4–उमाशंकर 5–खेमा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद, चोरी की तिजोरी व घटना में प्रयुक्त कटर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.04.2021 की रात्रि थाना सिकन्दरा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0–208/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये व तिजोरी आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू निवासी ग्राम रैपुरा जाट कीथम झील के पास थाना सिकन्दरा हालपता–ग्राम अरतौनी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

2—भारत निवासी ग्राम जऊपुरा थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

3—ब्रजेश निवासी ग्राम जऊपुरा थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

4—उमाशंकर निवासी सदर वन बिचपुरी थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

5—खेमा निवासी ग्राम जऊपुरा थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

बरामदगी

1—चोरी के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद।

2— चोरी की तिजोरी।

3—घटना में प्रयुक्त कटर आदि।

जनपद आगरा/थाना सदर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की लगभग 23.5 किलो चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 19.04.2021 को थाना सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पक्की सराय गोदाम के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—असलम, 2—अकरम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की लगभग 23.5 किलो चाँदी के आभूषण (42 कमर के गुच्छे व कन्धौनी, 88 खड़ुआ, 190 अंगूठी छल्ला, 08 प्लेट, 04 कटोरी, 670 बिछिया, 107 पायल, 08 पैकेट अन्य सामान, 31 मूर्ति, 04 लड्डू, 04 झूला व सिघांसन, 08 प्लेट, 11 ग्लास, 03 मुकुट, 11 चम्मच व अन्य सामान आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है दिनांक 16.04.2021 को थाना सदर क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना सदर पर मु0अ0सं0 177/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—असलम निवासी नई आबादी पक्की सराय नीतिबाग थाना ताजगंज जनपद आगरा।

2—अकरम निवासी कुआँ वाली गली राठौर बस्ती नीतीबाग थाना ताजगंज जनपद आगरा।

बरामदगी

1—चोरी की लगभग 23.5 किलो चाँदी के आभूषण (42 कमर के गुच्छे व कन्धौनी, 88 खडुआ, 190 अंगूठी छल्ला, 08 प्लेट, 04 कटोरी, 670 बिछिया, 107 पायल, 08 पैकेट अन्य सामान, 31 मूर्ति, 04 लड्डू, 04 झूला व सिघांसन, 08 प्लेट, 11 ग्लास, 03 मुकुट, 11 चम्मच व अन्य सामान) आदि।

जनपद सम्भल/थाना असमोली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी का 01 चार पहिया वाहन,**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18.04.2021 को थाना असमोली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खासपुर तिराहा के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—मोनू, 2—विशाल को गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 चार पहिया वाहन, चोरी की 09 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है। जिसमें अभियुक्त विशाल के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद जनपद सम्भल के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त मोनू के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद व सम्भल के विभिन्न थानो में 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना असमोली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोनू निवासी मढ़न थाना असमोली जनपद सम्भल।

2—विशाल निवासी लक्ष्मीनगर थाना मूंढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 01 चार पहिया वाहन।

2—चोरी की 09 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित कारतूस।

जनपद बदायूं/थाना जरीफनगर

- **लूट की घटना का अनावरण,**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूटी गई गाड़ी के पुर्जे, नम्बर प्लेट, खिडकी, लाईट, बौनट, कवर आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित व खोखा कारतूस,**
- **02 मोबाइल आदि बरामद**

दिनांक 18.04.2021 को थाना जरीफनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना जरीफनगर क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—ददन उर्फ आमीन, 2—मो0 अनस, 3—वसीम, 4—मौहर सिंह, 5—अबरार, 6—अलीहसन

को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गई गाड़ी के पुर्जे, नम्बर प्लेट, खिडकी, लाईट, बौनट, कवर आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित व खोखा कारतूस, 02 मोबाइल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.02.2021 को थाना जरीफनगर क्षेत्रान्तर्गत लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना जरीफनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2021 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किया जा रहा थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद गाड़ी के पुर्जे आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जरीफनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—ददन उर्फ आमीन निवासी बराखेडा थाना बिनावर जनपद बदायूं।

2—मो0 अनस निवासी राजौर थाना अनुपशहर जनपद बुलन्दशहर, हालपता फरीदाबाद सैट्रल फरीदाबाद हरियाणा।

3—वसीम निवासी गंगोला थाना दातागंज जनपद बदायूं।

4—मौहर सिंह निवासी युनिसपुर थाना नरसौना जनपद बुलन्दशहर।

5—अबरार निवासी अमरगढ थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

6—अलीहसन निवासी पूठा थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटी गई गाड़ी के पुर्जे, नम्बर प्लेट, खिडकी, लाईट, बौनट, कवर आदि।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित व खोखा कारतूस।

3—02 मोबाइल आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 340 पेटी अवैध अग्रेजी शराब**
- **01 डीसीएम ट्रक बरामद**

दिनांक 18.04.2021 को थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरैया बाजार के पास से चेकिंग के दौरान अभियुक्त मंशाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 340 पेटी (11,160 बोतल अवैध अग्रेजी शराब) 01 डीसीएम ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मंशाराम निवासी लोखरिया जाटा थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 30 लाख रूपये कीमत की 340 पेटी अवैध अग्रेजी शराब।

2—01 डीसीएम ट्रक।

जनपद मथुरा/थाना रिफाइनरी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 74 लाख 86 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद मथुरा पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी महावीर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 74 लाख 86 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 09 कुन्टल 52 कि0ग्राम0 अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार।

दिनांक—18—04—2021 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को **अन्तर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों** को **09 कुन्टल 52 कि0ग्राम0 अवैध गांजा के साथ** गरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1— असलम पुत्र अल्लू निवासी ढेकड़ा, थाना सदर अलवर, जनपद अलवर, राजस्थान।

2— जकरिया पुत्र बदरूद्दीन निवासी जयतलका, थाना पुन्हाना, जनपद नूंहमेवात, हरियाणा

बरामदगीः—

1— **09 कुन्टल 52 कि0ग्राम0 अवैध गांजा**

2— 02 अदद आधार कार्ड नं0—725772803800 /421595776690

3— 02 अदद डी0एल0 नं0—आरजे02—20160021562/एचआर—7420090011293

4— 02 अदद एटीएम एचडीएफसी बैंक—5419190523979105/4160210801787949

5— 02 अदद मोबाइल वीवो—आईएमईआई नं0— 865541040574433/865541040574425
एमआई—आईएमईआई नं0—864669049030759/864669049030767

6— अदद ट्रक नं0—आरजे—32जीबी—7788 व 02 अदद चॉबी(ट्रक एवं ट्रक की बॉडी खोलने हेतु)

7— रू0—4700/—नगद

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः—

दिनांक 18—04—2021 सायं 08:15 बजे चपरघाटा पुल के आगे हलिया मोड़ के पास थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात।

विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा एस0टी0एफ मुख्याय, लखनऊ द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 टीम को सूचना प्राप्त हुई कि पश्चिमी उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी की जा रही है। यह मादक पदार्थ (गाँजा) उड़ीसा से ट्रकों में छिपाकर लाये जा रहे हैं तथा पश्चिमी उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में बेंचे जा रहा हैं। इसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 02 व्यक्ति चपरघाटा पुल के आगे हलिया मोड़ के पास अनवी ढाबा, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात के पास अवैध गाँजा लेकर किसी ट्रक वाले को बेंचने हेतु खड़े हैं।

इस सूचना पर विश्वास करते हुये एस0टी0एफ0 टीम द्वारा क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर एवं थाना प्रभारी मूसानगर, जनपद कानपुर देहात से वार्ता कर मौके पर पहुंचने हेतु अवगत कराया गया। तदुपरान्त एस0टी0एफ0 टीम द्वारा क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर एवं थाना प्रभारी मूसानगर जनपद कानपुर देहात के साथ गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर मुखबिर की निशादेही पर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 09 कुन्टल 52 कि0ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त जकरिया उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 2010 में एक ट्रक खरीदा था और असलम के साथ ट्रान्सपोर्ट का काम करता था। कुछ समय पहले उड़ीसा के व्यक्ति से जान पहचान हुई। उसका सही नाम पता ज्ञात नहीं है, जिसका मो0नं0—8144087985 है, सब इस व्यक्ति को पाल भैया कहते हैं। मैं वहां नगद पैसे लेकर जाता था और पाल भैया नाम व्यक्ति से रू0—2500/— प्रति कि0ग्राम की दर से पैकशुदा गांजा लेता था, जिसे यहां लाकर रू0—7000/—प्रति कि0ग्राम की दर से बेंचता था। मेरा भाई इलियास खान स्थानीय ग्राहकों को सप्लाई देता था।

गिरफ्तार अभियुक्त जकरिया व असलम उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0—55/21 धारा—8/22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात में पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मूसानगर द्वारा की जा रही है।

——————